

राजस्थान –सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक :- ई-11/नर्स-2/बी-182/2017/ दिनांक-

आदेश

श्री बनेसिंह मीणा, नर्स-2 राजकीय चिकित्सालय करौली, का राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा सत्र 2017-18 में दो वर्षीय पोस्ट बेसिक बी.एस.सी नर्सिंग प्रशिक्षण करने हेतु चयन कर सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दौसा आवंटित किया गया है, में उपस्थिति दिनांक 15.11.17 तक प्रस्तुत करनी है।

श्री मीणा को निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रशिक्षण के लिये नियत उपस्थिति दिनांक से पूर्व कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. नियमानुसार स्वयं का अवकाश/अध्ययन अवकाश स्वीकृत कराना होगा।
2. उक्त प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
3. प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिक तुरन्त विभाग में अपनी उपस्थिति देगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
4. कार्मिक प्रशिक्षण के उपरान्त किसी प्रकार की पदोन्नति/वित्तीय लाभ अथवा उच्च पद वेतनमान की मांग नहीं करेगे।
5. राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगा।
6. नियमानुसार बन्ध पत्र भरना होगा।

-sd-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- ई-11/नर्स-2/बी-182/2017/964

दिनांक-14/11/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयोजक, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर।
2. चेयरमेन नर्सिंग कौंसिल बोर्ड 2017-18 एवं रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग कौंसिल जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन, भरतपुर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, करौली।
5. संबंधित प्रधानाचार्य संबंधित नर्सिंग कॉलेज।
6. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर।